न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)
राजस्व प्रार्थना संख्या 23 / 2019

1. श्रीमती आशा पत्नि श्री सुनील कुमार बुरड जाति जैन आयु बालिग निवासी बिजयनगर तहसील बिजयनगर जिला अजमेर (राज0)

————प्रार्थी

ब ना म

1. ओम प्रकाश नाहर पिता श्री नन्दलाल नाहर आयु बालिग निवासी चार बत्ती चौराया,कोगटा मेडिकल के पास बिजयनगर जिला अजमेर (राज0)।
2. गोपाल गुर्जर पिता श्री रायमल गुर्जर आयु बालिग निवासी चोंसला मूलसिंह कुमावत के भट्टे के पास बिजयनगर जिला अजमेर (राज0)।
3. देवकरण गुर्जर पिता श्री रायमल गुर्जर आयु बालिग निवासी चोंसला मूलसिंह कुमावत के भट्टे के पास बिजयनगर जिला अजमेर (राज0)।
4. पांचू गुर्जर पिता श्री रायमल गुर्जर आयु बालिग निवासी चोंसला मूलसिंह कुमावत के भट्टे के पास बिजयनगर जिला अजमेर (राज0)।
5. नारायण प्रजापत पिता श्री हुक्मा प्रजापत आयु बालिग निवासी चोंसला बिजयनगर जिला अजमेर (राज0)।
6. देवकरण पिता श्री हुक्मा प्रजापत आयु बालिग निवासी चोंसला बिजयनगर जिला अजमेर (राज0)।

———अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

आदेश दिनांकः 25.03.2021

अधिवक्ता प्रार्थीया ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सारांशतः कथन किए हैं कि ग्राम–शिखरानी प्रथम पटवार क्षेत्र शिखरानी प्रथम तहसील बिजयनगर की जमाबन्दी संवत् 2073–2076 के खसरा संख्या 1330 रकबा 0.1618 है0, भूमि प्रार्थीया की खातेदारी में चली आती है जिस पर बिना किसी रोक टोक व बिना बाधा के लगातार काबिज चला आता है। प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण की भूमियां लगते हुए है तथा अप्रार्थीगण, प्रार्थीया की उक्त आराजीयाज की सीमाओं को लेकर विवाद होता रहता है, जिस हेतु वादग्रस्त भूमियों की पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायहित में अत्यंत आवश्यक है। इसलिऐ प्रार्थीया को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय की शरण में आना पड़ा है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर तहसीलदार महोदय को आदेशित किया जावे कि प्रार्थीया की खातेदारी आराजियात का मौके पर पत्थरगढ़ी करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2021.04.05 15:30:35 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण द[illegible]टर होकर जरिए नोटिस अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी[illegible] एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई ।

प्रार्थना पत्र पर बहस उभयपक्षान की सुनी गई जिनके कथन कमोबेश उनके प्रार्थना पत्र अनुसार ही रहे। बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया।

.................लगातार

(मोहनलाल खटनावलिया)

श्रीमती आशा बनाम श्री ओम प्रकाश व अन्य
प्रकरण संख्या 23/2019

बाद अवलोकन पाया कि ग्राम–शिखरानी प्रथम पटवार क्षेत्र शिखरानी प्रथम तहसील बिजयनगर की जमाबन्दी संवत् 2073–2076 के खसरा संख्या 1330 रकबा 0.1618 है0, भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज है।

चूंकि वादग्रस्त आराजियात प्रार्थीया की खातेदारी की भूमियां है जिसमें वे जरिए नाप–चौप पत्थरगढ़ी करवाये जाने के अधिकारी पाए जाते हैं।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बिजयनगर को आदेशित किया जाता है कि वे प्रार्थीया से नियमानुसार पत्थरगढ़ी शुल्क प्राप्त कर प्रार्थीया पक्षकारान एंव विवादित खसरान के आस पास के खातेदारान को सूचित कर एंव संबंधित हल्का पटवारी के साथ अन्य दो पास के हल्के के पटवारीयान/भूअभिलेख निरीक्षक की टीम ग्राम–शिखरानी प्रथम पटवार क्षेत्र शिखरानी प्रथम तहसील बिजयनगर की जमाबन्दी संवत् 2073–2076 के खसरा संख्या 1330 रकबा 0.1618 है0, भूमि का मौके पर जरिये माप एवं सीमांकन सीमा कायम कर पत्थरगढी कारवाना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 25.03.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहनलाल खटनावलिया)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर) राज.

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2021.04.05 15:30:35 IST
Reason: SelfAttested